न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1723-I/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–05–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 1864/बी–121/2013–14.

हेमन्त सिंह रघुवंशी आ0 श्री वीरसिंह रघुवंशी,
निवासी ग्राम गोहची, तहसील बासोदा,
जिला–विदिशा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 1/10/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गंज बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 1864/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–05–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11–04–2014 को अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर ग्राम गोहची में रेत की अवैध उत्खनन की जॉच खनिज निरीक्षक बासौदा द्वारा की गई कि खसरा कमांक 295 रकबा 23.913 हेक्टेयर में 345 55 6 113800 घनमीटर पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है जिसका बाजार मूल्य 1,13,80,000/– रुपये

उल्लेखित किया गया । इस आधार पर आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 247 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । इसका जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा अपने जबाव में बताया कि मेरे द्वारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है तथा आवेदक ने गवाही पेश करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 32 का आवेदन पेश किया जिसमें गवाह पेश करने का अवसर देने की मॉग की गई जो कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2014 से आवेदन निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–14 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो ट्रेक्टर ट्राली जप्त किये हैं तथा जोनिडियर का उल्लेख किया है वह भी निगरानीकर्ता का नहीं है क्योंकि आवेदक के उत्खनन में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में पेश प्रमाण जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । तर्क में यह भी बताया कि जिन व्यक्तियों ने आवेदक के लिये काम करने एवं अवैध उत्खनन होने के संबंध में जो साक्ष्य दिये हैं वह भी फर्जी हैं क्योंकि आवेदक द्वारा कोई भी अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया कि आवेदक ने धारा 32 के आवेदन में यह उल्लेख किया कि उसे कारण बताओ नोटिस के साथ जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये हैं जबकि कारण बताओ नोटिस के साथ दस्तावेज प्रदाय किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही नहीं की है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–14 निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 32 का आवेदन देकर सुनवाई के अधिकार को चुनौती दी गई थी प्रकरण समाप्त करने का

अनुरोध किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अमान्य किया । म0प्र0भू–राजस्व संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा जॉच के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकृत किया जा सकता है । इसलिये इस बिन्दु पर उठाई गई आवेदक की आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है । जहॉ तक दस्तावेजों की प्रतियॉ देने का प्रश्न है आवेदन ने उन्हें प्राप्त करने का कोई प्रयास किया हो, प्रकरण के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं है ।

5– स्पष्ट है कि आवेदक का धारा 32 का आवेदन आधारहीन होने से उसे अमान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है । फलतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.